न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 218/2016 दायरा दिनांक :–02.09.2016 निर्णय दिनांक :– 24.02.2021

1. लालसिंह
2. राजेन्द्र पुत्रान गणपत
3. चन्द्रा पत्नी स्व0 श्री गणपत(हजफ)
4. अनिल
5. धीरज पुत्रान रामेश्वर
6. चमेली पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. रघुवीर
2. फूलसिंह
3. दलीप
4. धर्मचन्द पुत्रान खेमचन्द
5. फूलपति
6. राधा देवी पुत्रीयान खेमचन्द जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर, राज0
8. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक ~~03.03.2021~~ 24.02.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश [illegible] उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 443 [illegible]28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आ0ख0न0 443, 444, 445, 446, 447, 444/492 में 3/8 भाग मिन वादीगण की

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

पैतृक दादालाई की आराजी रही है जो दादा गोपाल पुत्र टोडाराम की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है जिनकी फौत होने पर वादीगण के पिता/पति गणपत पुत्र गोपाल व प्रतिवादीगण के पिता/पति खेमचन्द को जरिये विरासत में प्राप्त हुई। सजरा पेश है। वादीगण एवम प्रतिवादीगण के पिता आपस में सगे भाई है तथा आराजी विरासत द्वारा प्राप्त हुई है एवम विरासत इन्तकाल रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसी प्रकार मौका पर हम उभयपक्षकारान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। संवत 2033 में वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के पिता तथा अन्स सहखातेदारान ने राजस्व कैम्प में आराजी का विधिक बटवारा करा लिया जिसका इन्तकाल संख्या 30 ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज व मंजूर किया गया जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का खसरा नंबर 443 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दिया गया तथा यह तो सही लिखा गया लेकिन खातेदारों का नाम लिखते समय मिन वादी के पिता गणपत का नाम छोड दिया गया जबकि जमाबंदी संवत 2029 एवम इन्तकाल नंबर 30 के कॉलम नंबर 5 में गणपत, खेमचन्द पुत्रान गोपाल दोनो नाम है लेकिन कॉलम संख्या 11 में अंकन करते समय वादीगण के पूर्वज गणपत का नाम छूट गया तथा उक्त इन्तकाल के आधार पर खिलाफ मौका व कानून मिन प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम हजफ कर तन्हा प्रतिवादीगण के पिता के नाम का अंकन दर्ज कर दिया गया जो अंकन संवत 2033 से ताहाल चला आ रहा है एवम मिन वादीगण अपने पिता से विरासत में मिली आराजी के 1/2 भाग पर शांतिपूर्वक काबिज है इसलिए मिन वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की कतई जानकारी नहीं हो सकी एवम राजस्व रिकॉर्ड की नकले चाही जाकर प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो साफ मना कर दिया। आदि–आदि का निवेदन करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जाये कि हाल खसरा नंबर 443/0.28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील, मुण्डावर में मिन वादीगण 1 लगायत 3 व 4 लगायत 6 को 1/2 संभाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद किया जाकर मिन वादीगण के हक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ करने एवम प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी को कही रहन, बैय इत्यादि से मुन्तकिल नहीं करे ना ही वादीगण के काश्तकार्य में मजाहमत ही पैदा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवम प्रतिवादी संख्या 7 को बार–बार अवसर उपरांत पैरोकारा सरकार के जवाब का अवसर समाप्त किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुये अंकित किया कि विवादित आराजी पर खेमचन्द का कब्जा रहा है जिनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण का कब्जा आज तक चला आ रहा है। इन्तकाल [illegible] कही भी वादीगण के पिता गणपत का नाम इन्तकाल स्वीकार नहीं हुआ। आदि–आदि का निवेदन करते हुये वादीगण के वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन [illegible] साथ ही जायद में उपरोक्त अंकन को दोहराते हुये अंकित किया है कि [illegible] कैम्प में जारी किया गया है जो आदेश माननीय न्यायालय [illegible] किये गये है उस आदेश को सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं होने के कारण वाद खारिज फरमाया जावे एवम उक्त आदेश गलत है या मात्र भूल तो भी वादीगण को उक्त आदेश इन्तकाल संख्या 30 की अपील करनी चाहिए थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये:–

1. आया कि विवादित हाल आ0ख0न0 443 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर, आ0ख0न0 443 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 446 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 447 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 444/492 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा का 3/8 भाग मिन वादीगण की दादालाई की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है।
–जिम्मेवादीगण

2. आया कि विवादित हाल आ0ख0न0 443, रकबा 0.28 है0, 1 बीघा 2 बिस्वा जरिये बटवारा मिन वादीगण के हिस्से आयी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण के पिता गणपतराम का नाम दर्ज होने से छूट गया जिसे दूरूस्त कराकर ख0न0 443 रकबा 0.28 के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण के नाम का अंकन दर्ज कराकर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा वादीगण के हिस्से तक प्रतिवादीगण के नाम को हजफ कराने का अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण

3. आया कि विवादित आराजी के बटवारा बाबत इन्तकाल संख्या 30 तहसीलदार मुण्डावर द्वारा कैम्प में स्वीकार किया गया जिस आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं होने से वाद खारिज होने योग्य है। – जिम्मेप्रतिवादीगण

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2029 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2066–69 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र चन्द्रो देवी प्रदर्श–4, नकल नामान्तरकरण संख्या 30 प्रदर्श–5 पेश किये एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र लालसिंह पी डब्ल्यू–1, विरेन्द्र पी डब्ल्यू–2 पेश किये जिनके मुताबिक साक्ष्य वादी की जिरह रिकॉर्ड की गयी जिसके मुताबिक गवाह लालसिंह ने दौराने जिरह विवादित आराजी का गत नंबर नहीं बता सकता। आज के दिन ख0न0 443 में से 1/2 हिस्सा पर कब्जा है एवम जहां हमारा 1/2 पर कब्जा है उसके उत्तर में हरिराम का खेत है जिसके नंबर नहीं जानता और जो आधा हिस्सा शेष बचा है उस पर खेमचन्द का कब्जा है। मेरा खसरा नंबर 443 के अलावा किसी नंबर पर कब्जा नहीं है एवम गलत इन्द्राज की जानकारी अगस्त 2015 में हुई जिसके बाबत उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार को कोई प्रार्थना पत्र या कोई अपील नहीं की। चूंकि उक्त श्रीमान एस डी एम मुण्डावर कार्यक्षेत्र में आता था इसलिए दावा यहां लगाया है। ठीक इसी प्रकार गवाह विरेन्द्र ने दौराने जिरह साक्ष्यवादी निवेदन किया कि जिस जमींन की गवाही देने आया हूं उसको मैंने मौके [illegible] डनवाडा जाते समय आती है। उधर मैं मूलचन्द, मनीष, बिडदा के खेतों [illegible] हूं। तीनों खेत रास्ते पर नहीं लगते। विवादित आराजी के उत्तर [illegible] ठीक इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के [illegible] में मौखिक [illegible] स्वरूप शपथ पत्र फूलसिंह डी डब्ल्यू–1 पेश किया। मुताबिक शपथ पत्र प्रतिवादी ने वादीगण व हम प्रतिवादीगण के दादा की फौत होने पर वादीगण के पिता गणपत [illegible] प्रतिवादीगण के पिता खेमचन्द को जरिये विरासत प्राप्त होना एवम आपस मे सगे भाई होना एवम राजस्व कैम्प में आराजी का विधिक तकासमा करा लिया जाना व उक्त विधिक तकासमा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

इन्तकाल संख्या 30 पंचायत द्वारा दर्ज व मंजूर किया जाना जिसमें वादी व प्रतिवादीगण को खसरा नंबर 443 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दिया गया जाना एवम उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण का 1/2 भाग पर बिडदा पुत्र मंगल की आराजी की डोल के तरफ दक्षिण में काबिज होना तथा इन्तकाल संख्या 30 का अंकन करते समय वादी के पिता के नाम 1/2 भाग का अंकन नहीं हो पाया जबकि वादी का पिता अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहा है। उसके फौत होने पर वादी काबिज काश्त है एवम वादीगण आराजी के तरफ उत्तर में 1/2 भाग पर काबिज है तथा हम प्रतिवादीगण तरफ दक्षिण में बिडदा पुत्र मंगल की आ0ख0न0 444 की डोल के साथ ,काबिज काश्त है एवम जिरह साक्ष्य प्रतिवादी दर्ज रिकॉर्ड की गई। दौराने जिरह भी गवाह फूलसिंह ने 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा उभयपक्षकारान का बताते हुये मौके पर कब्जा बाबत कोई विवाद नहीं होना एवम तरफ उत्तर में हम जोडते है और तरफ दक्षिण में वादीगण का है आदि अंकित किया गया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये वाद वादीगण पैतृक दादालाई आराजी होकर वादीगण 1/2 भाग के विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है एवम लिखित दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 5 प्रस्तुत किये जाना एवम मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजात वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवम वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस अपने जवाब दावे के जिमनो को दोहराते हुये वादगण के वाद को खारिज किये जाने का अभिकथन किया। इस प्रकार वादीगण का वाद तनकी वाद निम्नानुसार रहा :–

1. आया कि विवादित हाल आ0ख0न0 443 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर, आ0ख0न0 443 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 445 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 446 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 447 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 444/492 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा का 3/8 भाग मिन वादीगण की दादालाई की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है जिसके बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 में अंकित गणपतराम, खेमचन्द पु0 गोपाल संभाग एवम प्रदर्श–5 नकल नामान्तकरण संख्या 30 के कॉलम संख्या 5 में अंकित गणपत, खेमचन्द, पि0 गोपाल एवम कॉलम संख्या 11 में केवल खेमराम पुत्र गोपाल ही अंकित किया जाना तदुपरांत प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 के अवलोकन से उक्त तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुये बहक वादीगण स्वीकाय योग्य पाता है।
2. आया कि विवादित हाल आ0ख0न0 443, रकबा 0.28 है0, 1 बीघा 2 बिस्वा जरिये बटवारा मिन वादीगण के हिस्से आयी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण के पिता गणपतराम का नाम दर्ज होने से छूट गया जि[illegible] रकबा 0.28 के राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीगण के नाम का अंकन द[illegible] 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधि[illegible] के हिस्से तक प्रतिवादीगण के नाम को हजफ कराने को अधिकार है। इस त[illegible] को साबित करने का भार जिम्मेवादीगण रहा है जो तनकी संख्या 1 बहक [illegible] स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी बरखिलाफ़ प्रतिवादीगण [illegible] हुये यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

3. आया कि विवादित आराजी के बटवारा बाबत इन्तकाल संख्या 30 तहसीलदार मुण्डावर द्वारा कैम्प में स्वीकार किया गया जिस आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं होने से वाद खारिज होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है एवम जब तनकी संख्या 1 व 2 स्पष्ट रूप से बहक वादीगण पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण पाते हुये बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाता है।

अनुतोष– उपरोक्त विवेचन एवम वादी लालचन्द के द्वारा जिरह साक्ष्यवादी में किये गये अभिकथन अनुसार ख0न0 443 में से 1/2 हिस्से पर जहां हमारा कब्जा है उसके उत्तर में हरिराम का खेत है एवम प्रतिवादी फूलसिंह के द्वारा जिरह साक्ष्य प्रतिवादी यह कहना गलत है कि तरफ उत्तर में हम जोडते हो और तरफ दक्षिण मे वादीगण का है ठीक इसी प्रकार अपने शपथ पत्र में प्रतिवादी फूलसिंह ने शपथ पत्र के पैरा नंबर 3 में जिस आराजी पर हम प्रतिवादीगण 1/2 भाग पर बिडदा पुत्र मंगल की आराजी की डोल तरफ दक्षिण में काबिज है एवम इसी अनुसार पैरा नंबर 4 में भी प्रतिवादी फूलसिंह ने वादीगण का 1/2 हिस्सा स्वीकारते हुये वादीगण आराजी की तरफ उत्तर में मौके पर काबिज होना तथा प्रतिवादीगण तरफ दक्षिण में ख0न0 444 की डोल के साथ काबिज होना अंकित करते हुये मौके पर काबिज अनुसार ही दिशा दर्शाया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे एवम वादीगण द्वारा भी विवादित आराजी के 1/2 भाग तरफ उत्तर दिशा में डोल हरिराम के साथ कब्जाकाश्त होना अपने बयान में अंकित किये अनुसार तथा वकील उभयपक्षकारान की सुनी गई बहस एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहन अवलोकन उपरांत उपरोक्तानुसार ही वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नंबर 443 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम वादी संख्या 1 लगायत 3 व वादी संख्या 4 लगायत 6 को उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग तरफ उत्तर में संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम वादीगण की हक व हिस्से की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवम प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी [illegible] वे उक्त विवादित आराजी की रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे [illegible] वादीगण के काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 218/16 दायरा दिनांक :–02.09.16 पर्चा डिक्री दिनांक :– 24.02.21

1. लालसिंह
2. राजेन्द्र पुत्रान गणपत
3. चन्द्रा पत्नी स्व0 श्री गणपत(हजफ)
4. अनिल
5. धीरज पुत्रान रामेश्वर
6. चमेली पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

.........वादीगण

बनाम

1. रघुवीर
2. फूलसिंह
3. दलीप
4. धर्मचन्द पुत्रान खेमचन्द
5. फूलपति
6. राधा देवी पुत्रीयान खेमचन्द जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, अलवर, राज0
8. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री महेश यादव एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 24.02.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:–**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नंबर 443 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम वादी संख्या 1 लगायत 3 व वादी संख्या'4 लगायत 6 को उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग तरफ उत्तर में संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम वादीगण की हक व हिस्से की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] जावे एवम प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि [illegible] आराजी की रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे ना ही वादीगण [illegible] मजाहमत ही पैदा करे। पक्षकारान् अपना अपना [illegible] करेंगे।

[illegible] जाकर बाद

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:44 IST
Reason: SelfAttested